Section 160 : Assessment proceedings, etc., not to be invalid on certain grounds

(1) No assessment, re-assessment, adjudication, review, revision, appeal, rectification, notice, summons or other proceedings done, accepted, made, issued, initiated, or purported to have been done, accepted, made, issued, initiated in pursuance of any of the provisions of this Act shall be invalid or deemed to be invalid merely by reason of any mistake, defect or omission therein, if such assessment, re-assessment, adjudication, review, revision, appeal, rectification, notice, summons or other proceedings are in substance and effect in conformity with or according to the intents, purposes and requirements of this Act or any existing law.

(2) The service of any notice, order or communication shall not be called in question, if the notice, order or communication, as the case may be, has already been acted upon by the person to whom it is issued or where such service has not been called in question at or in the earlier proceedings commenced, continued or finalised pursuant to such notice, order or communication.

धारा 160 : कतिपय आधारों पर निर्धारण कार्यवाहियों, आदि का अविधिमान्य न होना

(1) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में आरंभ किया गया या किया गया या तात्पर्यित रूप से किया गया कोई निर्धारण पुनःनिर्धारण, न्यायनिर्णयन, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील, सुधार, जारी या स्वीकार किया गया कोई नोटिस, समन या की गई या तात्पर्यित रूप से की गई अन्य कार्यवाहियां, उसमें किसी गलती, त्रुटि या लोप होने के कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं होगी या उन्हें अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा, यदि ऐसा निर्धारण, पुनःनिर्धारण, न्यायनिर्णयन, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील, सुधार, नोटिस, समन या अन्य कार्यवाहियां इस अधिनियम या विद्यमान किसी विधि के आशयों, प्रयोजनों और अपेक्षाओं के अनुरूप या उनके अनुसरण में सारवान् और प्रभावी है।

(2) किसी नोटिस, आदेश या संसूचना की तामील को प्रश्नगत नहीं किया जाएगाा, यदि यथास्थिति, नोटिस, आदेश या संसूचना पर उस व्यक्ति द्वारा पहले ही कार्रवाई कर दी गई है, जिसके नाम उसे जारी किया गया है या जहां ऐसी तामील को ऐसे नोटिस, आदेश या संसूचना के अनुसरण में पूर्व में प्रारंभ की गई या चालू कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया गया है।